07/2017
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 7/2017 अनवानी अमीलाल पुत्र बिशनाराम जाति बिश्नोई निवासी 6 के.डी. तहसील घड़साना बनाम 1–महेश कुमार पाण्डे पुत्र रामेश्वर दयाल जाति ब्राम्हण निवासी बीकानेर जरिये मु0 आम साहबराम पुत्र पृथ्वीराज निवासी चक 5 के.डी. तहसील घड़साना 2–उपखण्ड अधिकारी घड़साना

27.02.2017

प्रार्थी श्री अमीलाल के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थी महेश कुमार जरिये मु0 आम साहबराम के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी श्री अमीलाल के अभिभाषकगण श्री जगमोहन आहूजा का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष श्री महेश कुमार द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 22.12.2016 को इस कथन के साथ पेश किया कि चक 5 के.डी.ए. के मु0न0 170/64 की 25 बीघा आवंटन शुदा भूमि की बकाया किश्त राशि जमा करवाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2016 की पालना में कब्जा दिलाने की प्रार्थना की है जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब करने का आदेश दिया गया और तारीख पेशी 09.01.2017 नियत की गयी। जिस पर प्रार्थी 09.01.17 को अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हुआ और आगामी तारीख पेशी 23.01.17 जबाब हेतु नियत की गयी।

उनका आगे कथन है कि दिनांक 09.01.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि वह तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत कब्जा दिलायेंगे जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.12.2016 में कब्जा दिलाने का कोई आदेश नही दिया है बल्कि चार माह में सुनवाई कर कलेम तय करने का आदेश दिया है। किन्तु पीठासीन अधिकारी राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत तौर से कब्जा दिलाने की कोशिश मे है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार खड़ी फसल में कब्जा नही दिलाया जा सकता, बल्कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का अप्रार्थी को कब्जा दिलाने संबंधी कोई आदेश न होने के बावजूद भी गलत तौर से कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा पीठासीन अधिकारी गलत तौर से कब्जा दिलाने की कोशिश में है जबकि वास्तव में बनवारीलाल ही पक्षकार था, महेश पाण्डे द्वारा गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण में न्याय मिलने की संभावना नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

07/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। उनका कथन है कि इस न्यायालय को संबंधित मामले के गुण दोष पर कोई विचार नही करना है केवल अधिनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने अथवा न किये जाने पर विचार किया जाना है। पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होना बताया है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। ऐसा आरोप कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिल के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी महेश कुमार पाण्डे, मघीदेवी का वारिस है और मघीदेवी को मु0न0 170/64 की आवंटी है जिस पर भी अन्य भूमि के साथ साथ रिसीवर नियुक्त है और धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट पेटीशन सं0 124/2016 अमीलाल बनाम बोर्ड आफ रेवन्यू अजमेर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2016 उसके पक्ष में हो चुका है और अमीलाल का उक्त भूमि पर कोई हक नही माना है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 05.12.2016 के अनुसार भी अप्रार्थी महेश कुमार को भी अपने मामले में उक्त भूमि के संबंध में सुनवाई करवाने का अधिकार है।

मैने दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्को पर विचार किया और उपखण्ड अधिकारी घड़साना की टिप्पणी सं0 181 दिनांक 24.01.2017 एवं पत्रावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 व 09.08.2016 का भी अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी महेश कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.16 के निर्देशो के तहत उसे आवंटित विवादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 22.12.16 का पेश किया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने सुनवाई के लिए प्रार्थी अमीलाल को भी उसके कथनानुसार नोटिस जारी किया गया है किन्तु प्रार्थी अमीलाल ने उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाकर अन्यत्र मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 184 व 183 आरटीए के प्रावधानो के बाहर जाकर कार्यवाही की जा रही है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के गुण दोष पर कोई विचार नही करना है। केवलमात्र यह तय करना है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को अन्यत्र मुन्तकिल किया जावे अथवा न किया जावे, इस पर विचार किया जाना है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया है कि वे राजनैतिक दबाब में अप्रार्थी को कब्जा दिलाने का ऐलानिया कह रहे है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अप्रार्थी को कब्जा दिलाने का कोई आदेश नही है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर जो राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया गया है वह साधारण प्रकृति का है और मुकदमा मुन्तकिली का ठोस आधार नही बनाता है। ऐसा आरोप कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

AB/3

दूसरा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.16 से प्रतीत होता है कि संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के प्रा0 पत्र पर ही कार्यवाही हो रही है जैसा कि उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी से भी प्रतीत होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसे प्रा0 पत्र पर सभी पक्षो को सुनकर 4 माह में निस्तारण करने के अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये हुए है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्राथी का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निरस्त करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर